न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम् सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

जमानत आवेदन सं0 319/2026

जी.बी. नगर थाना कांड सं0–597/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा– 309(4) भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

पवन कुमार... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य, द्वारा लोक अभियोजक .... विपक्षी

उपस्थित– **श्री विद्या भूषण साह, विद्वान अधिवक्ता, काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से**
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

26.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, जी.बी. नगर थाना कांड संख्या 597/2025, अंतर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक जितेंद्र यादव के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दिनांक 27.12.2025 को समय करीब 06:20 बजे संध्या में वह अपने हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल, जिसका रजिस्टेशन सं0 BR29AF3210, से तरवारा बाजार से दवा खरीद कर अपने घर गंडक नहर के बीच सड़क से जा रहा था, जब गाजी स्थान के आगे जैसे ही पहुॅचा कि उसे पीछे से ओवर टेक कर आपाची मोटरसाईकिल पर सवार तीन अपराधियों ने उसे मारकर गिरा दिया और फायर किया। जब सूचक गिर गया तो उसे फैट, मुक्का और लात–घुसा से मारपीट कर घायल कर दिया तथा उसके बाद दो अपराधी आपाची मोटरसाईकिल लेकर उत्तर दिशा के तरफ सलाहपुर की ओर भाग गये और एक अपराधी सूचक की स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल लूटकर दक्षिण तरवारा बाजार के तरफ भाग गये। सूचक का स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल का इंजन नम्बर HA10AGJHE66868 तथा चेचिस नम्बर MBLHAR078JHE57324 है। मारपीट के बाद सूचक अपना इलाज सदर अस्पताल सिवान जाकर अपना इलाज कराया।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि काराधीन अभियुक्त आवेदक दिनांक 12.01.2026 से कारा में है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2026 को यह आदेश देते हुए निष्पादित किया गया की आवेदक/अभियक्त आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात् जमानत आवेदन पुनः नवीकरण कर सकते है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है उसे झूठे मुकद्मे में फंसाया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकद्मा के अलावे कोई अन्य मुकद्मा दर्ज नहीं

लगातार

26.03.2026

है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अन्य आपराधिक मुकद्मा लंबित नहीं है और अभियोजन कहानी पूर्णतयाः झूठा, मनगढ़ंत और निराधार है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से या घटनास्थल से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है सिर्फ संदेह के आधार पर काराधीन आवेदक/अभियुक्त को इस मुकद्मा में फंसाया गया है कथित घटना का कोई भी प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नहीं है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सूचक का मोटरसाईकिल लूटने का गंभीर अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, जी.बी.नगर थाना कांड संख्या 597/2025, अंतर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता, अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा सूचक के साथ मारपीट कर उसकी मोटरसाईकिल लूटने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है लेकिन उसके कथित अपराध में उसकी संलिप्तता का साक्ष्य उसके द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है(कांड दैनिकी की कंडिका 33 में वर्णित) तत्पश्चात् उसके कब्जे से लूट की मोटरसाईकिल बरामद हुई थी। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामले में काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित हो चुका है। काराधीन आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 12.01.2026 से कारा में है।

अतः उक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं काराधीन आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार विद्वान विचारण न्यायालय, सिवान के संतुष्टियोग्य मो. 20,000/—(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त, अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे। बंधपत्र दाखिल किये जाने समय काराधीन आवेदक/अभियुक्त एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रतिभूगण के द्वारा भी धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित घोषणा पत्र के तहत सभी सुसंगत विशिष्टियाँ दी जायेगी।

लेखापित

ह0/—

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।